

		<p>राजस्थान वित्त निगम मुख्यालय: उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर H.O.: Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, JAIPUR-302005 Ph.No.0141-2385522 FAX-0141-2385503 E-mail:sanjaylahri@rfc.rajasthan.gov.in</p>
--	---	--

क्रमांक: आरएफसी/पीए-12(1132)/1265

दिनांक: 18.10.2018

### परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि निगम द्वारा कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व जारी होने वाले आदेशों के पश्चात कार्मिकों से उनके नाम में संशोधन करने हेतु ज्ञापन प्राप्त होते हैं, जैसे किसी नाम के साथ उप नाम जोड़ना, शादी के बाद महिला कार्मिकों के उपनाम में परिवर्तन, मध्य नाम जोड़ना अथवा हटाना पूरा नाम अथवा छोटा नाम (short name) लिखना इत्यादि ।

उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी कार्मिक को अपने नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन करवाना है तो निर्धारित प्रक्रिया उपरांत तुरन्त अपना ज्ञापन देकर नाम में संशोधन करवा सकता है । एक वर्ष पूर्व जारी किये जाने वाले सेवानिवृत्ति के आदेश जारी होने के पश्चात किसी भी प्रकार के नाम परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी ।

(संध्या शर्मा)  
18/10/2018  
कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपि -

1. समस्त शाखा कार्यालय
2. मुख्यालय में मानक परिचालन